रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 1970/ज्येष्ठ 2, 1892
No. 92] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1970/JYAISTHA 2, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### RESOLUTION

*New Delhi, the 24th May 1970*

**No. 3/3/70-Pub. II.**—The sudden passing away of Shri Panampilli Govinda Menon on 23rd May, 1970 has deprived the country of a dedicated patriot, a very able lawyer, a distinguished administrator and a fine parliamentarian.

Born on October 1, 1908, at Chalakudy in Trichur District Shri Govinda Menon had his education at Trichur and Trichinopoly and entered the legal profession after taking a law degree from Madras. He entered public life at an early age, devoted himself to the cause of responsible government in Cochin and took special interest in trade unionism and labour movement. He participated actively in the freedom movement and suffered detention for a considerable period.

Shri Menon was elected to the Cochin State Legislature in 1935 and was re-elected successively in 1938, 1945 and 1948. He joined the Government of Cochin initially as Minister of Food and was the Prime Minister of that State during the years 1946-47. On the formation of Travancore-Cochin State he served that State successively as Minister of Education, Minister of Finance, and during the years 1955-56 as Chief Minister.

Shri Menon was a member of the Constituent Assembly of India and served on two of its important committees. The understanding and insight acquired by him as a framer of the Constitution was reflected in the sagacity of his views as the Union Law Minister.

Before his election to the Third Lok Sabha in 1962 he was a member of the third Finance Commission. He was the first Chairman of the Parliamentary Committee on Public Undertakings constituted in 1964, and joined the Union Council of Ministers in January 1966 as Minister of Food. In March 1967 he became a member of the Union Cabinet as Minister of Law and in November 1968 was given in addition the portfolio of Social Welfare. For some months since November 1969 he held also the office of Minister of Railways.

Shri Menon represented the Government of India at several international conferences. He was Government of India's representative at the ILO Conference in Geneva in 1953, was the Leader of the Indian Parliamentary delegation at the Inter-Parliamentary Conference at Belgrade in 1963, and was the Leader of the Indian delegation at the FAO Regional Conference at Seoul in 1966.

Shri Menon's legal scholarship found expression in his writings of which his Manual of Agricultural Income Tax and his book on the Civil Procedure Code are notable. He also took deep interest in promoting the library movement. He was an accomplished speaker in English and an eloquent and powerful orator in Malayalam.

With his high sense of public duty Shri Menon worked without rest or respite, and regardless of his state of health continued to perform his duties as a Minister right up to the end. His sudden and premature death is a grievous loss to the people and the Government of India.

L. P. SINGH, Secy.

---

## गृह मंत्रालय

### संकल्प

नई दिल्ली, 24 मई, 1970

**सं० 3/3/70–पब्लिक (2).**—श्री पनम पिल्ली गोविन्द मेनन के 23 मई, 1970 को हुए आकस्मिक निधन से हमारे देश ने एक निष्ठावान देश भक्त, अत्यधिक सुयोग्य वकील लब्ध प्रतिष्ठित प्रशासक और श्रेष्ठ संसदीय नेता खो दिया है।

श्री गोविन्द मेनन का जन्म 1 अक्तूबर, 1908 को केरल के त्रिचूर जिले के चालाकुडी नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने त्रिचूर और त्रिचनापल्ली में शिक्षा प्राप्त की और मद्रास से कानून की उपाधि प्राप्त करने के बाद वकालत आरम्भ की। उन्होंने अल्प आयु में ही सार्वजनिक जीवन में ही प्रवेश किया, वे कोचीन में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए जुट गये और उन्होंने ट्रेड यूनियन और मजदूर आन्दोलन के कार्य में विशेष रूचि ली। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और वे लम्बी अवधि तक नजरबन्द रहे।

श्री मेनन कोचीन राज्य विधान सभा के लिए सन् 1935 में निर्वाचित हुए और उसके बाद लगातार सन् 1938, 1945 और 1948 में पुनः निर्वाचित हुए। आरम्भ में वे कोचीन सरकार में खाद्य मंत्री बने और सन 1946–47 में उस राज्य के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रहे और सन् 1955–56 में मुख्य मंत्री रहे।

श्री मेनन भारत की संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने उसकी दो महत्वपूर्ण समितियों में कार्य किया। संविधान-निर्माता के रूप में उन्हें जो सूझ बूझ और गहन दृष्टि प्राप्त थी वह केन्द्रीय विधि मंत्री के रूप में उनके विचारों की विचक्षणता में प्रकट होती थी।

सन् 1962 में तीसरी लोक सभा के लिए निर्वाचित होने से पहले वे तीसरे वित्त निगम के सदस्य थे। वे सन् 1964 में गठित सरकारी औद्योगिक संस्थानों की संसदीय समिति के पहले अध्यक्ष थे और जनवरी, 1966 में खाद्य मंत्री के रूप में केन्द्रीय मंत्री परिषद् में सम्मिलित हुए। वे मार्च, 1967 में विधि मंत्री के रूप में केन्द्रीय मंत्री मंडल के सदस्य बने और नवम्बर, 1968 में उन्हें विधि मंत्रालय के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग भी दिया गया। नवम्बर, 1969 में उन्होंने कुछ महीनों के लिए रेल मंत्रालय भी सम्भाला।

श्री मेनन ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सन 1953 में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सन 1963 में बेलग्रेड में हुए अन्तर संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्ट मंडल के नेता के रूप में और सन 1966 में सियोल में हुए खाद्य और कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मंडल के नेता के रूप में भाग लिया।

श्री मेनन का कानून का ज्ञान और विद्वत्ता उनके ग्रन्थों में प्रकट हुई, जिनमें उल्लेखनीय है कृषि आय कर मैनुअल और सिविल प्रक्रिया संहिता उन्हें पुस्तकालय आन्दोलन में भी गहरी रुचि थी। वे अंग्रेजी के निष्णात वक्ता थे और मलयालम के श्रेष्ठ एवं प्रभावी भाषणकर्ता थे।

लोक कर्त्तव्य की उदात्त भावना से प्रेरित श्री मेनन अविश्रांत एवं अनवरत रूप से कार्य करते रहे, और अपने स्वास्थ्य की चिन्ता न करते हुए मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्य का निर्वाह अन्त तक करते रहे। उनके आकस्मिक एवं असामयिक निधन से भारत की जनता और भारत सरकार की अपार क्षति हुई है।

ल० प्र० सिंह,
सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970